



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26527

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 1998/2026

हरि प्रसाद

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता : अजय कुमार पाण्डेय, जयदीप त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अचल सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् सहायक कलक्टर/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-कर्वी, जनपद-चित्रकूट द्वारा दिनांक 28.10.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 67(5) के साथ पठित धारा 67(2) के तहत याची को नोटिस जारी किया गया था। जिसका उत्तर याची द्वारा दिनांक 18.12.2025 को दाखिल किया गया था।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा एकमात्र प्रार्थना प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् सहायक कलक्टर/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-कर्वी, जनपद-चित्रकूट को उपर्युक्त नोटिस पर अंतिम निर्णय लेने हेतु निर्देशित करने के लिए की गई है।
4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रस्तुत करने के तुरंत बाद याची ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है।
5. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
6. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् सहायक कलक्टर/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-कर्वी, जनपद-चित्रकूट को निर्देशित किया जाता है कि वे ऊपर बताए अनुसार याची

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर, बिना कोई अनावश्यक स्थगन दिए, शीघ्रता से निर्णय लें, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 6, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"